न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 66/2018

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थीः–**

सरकार जरिये तहसीलदार रोहट

1. सोनाराम पुत्र पाबूराम पटेल
2. गोपाराम पुत्र सागलराम, निवासीगण रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.07.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/37 रकबा 10 बीघा किस्म बा.अ. के श्री हापूडा पुत्र धूडाराम ढाडी को नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने एवं उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को निरस्त कर भूमि पुनः गै.मु. नदी दर्ज किए जाने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/37 रकबा 10 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन हापूडा पुत्र धुडाराम ढाडी के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 08.04.1975 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 323, 374 तथा 516 दिनांक 04.04.2000 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/37 रकबा 10 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन हापूडा पुत्र धुडाराम ढाडी निवासी रामपुरा को आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन कर

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

किया गया एवं उसकी पालना में नायब तहसीलदार पाली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 08.04.1975 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा हापूडा पुत्र धुडाराम ढाडी को गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं जरिये ना.स. 323 द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। हापूडा पुत्र धुडाराम ढाडी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिश मांगीया पुत्र हापूडा के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 374 सरपंच कलाली द्वारा स्वीकृत किया गया तथा मांगीया पुत्र हापूडा द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थीगण श्री सोनाराम व गोपाराम को दिनांक 06.03.2000 को बेचाण कर दिए जाने से नामान्तरकरण संख्या 513 दिनांक 04.04.2000 सरपंच कलाली द्वारा स्वीकृत किया गया। लेकिन प्रार्थी तहसीलदार रोहट ने अपने प्रार्थना पत्र में मूल आवंटी स्व. हापूडा के वारिश मांगीया को पक्षकार नहीं बनाकर केवल केता वर्तमान खातेदार सोनाराम व गोपाराम को ही पक्षकार बनाया है जबकि मूल आवंटी स्व. हापूडा के वारिश को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा मूल आवंटी के वारिश को पक्षकार न बनाकर उसे अप्रत्यक्ष रूप से भारी विधिक लापरवाही बरती है। जबकि मूल आवंटी के वारिश को पक्षकार बनाये बगैर एवं उसे बिना सुने जैर प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट को निर्णय की प्रति नए सिरे से समस्त पूर्तियों को करते हुए 15 दिवसों के भीतर प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने हेतु प्रेषित किया जावे। प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को श्री ताराचंद प्रजापत, तहसीलदार रोहट के विरूद्ध लापरवाही पूर्ण किए गए उपरोक्त कृत्य के लिए विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति संस्थापन शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को प्रेषित की जावे। पत्रावली इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
पाली (राजस्थान)